कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 715 राँची, दिनांक :– 29–06–2018 ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– दुमका वन प्रमण्डल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वनभूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी आउटडोर स्टेडियम राजभवन तथा पुलिस उप–महानिरीक्षक आवास के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका का
1. पत्रांक 559 दिनांक 11.04.2018 एवं
2. पत्रांक 995 दिनांक 15.06.2018 एवं
3. पत्रांक 1028 दिनांक 28.06.2018

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न करते हुए विषयगत परियोजना के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 14.217 हे0 वनभूमि अपयोजन नियमितिकरण का प्रस्ताव की Hard Copy पाँच प्रतियों में तथा Online प्राप्त हुआ था। जिस पर इस कार्यालय के पत्रांक 487 दिनांक 25.04.2018 द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। उपरोक्त की गई पृच्छाओं का पूर्ण निराकरण प्रतिवेदन द्वारा प्राप्त नहीं होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 674 दिनांक 20.06.2018 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पुनः पूर्ण प्रतिवेदन दिए जाने हेतु निदेशित किया गया। उपरोक्त पृच्छाओं का निराकरण वन संरक्षक, दुमका का पत्रांक 1028 दिनांक 28.06.2018 द्वारा एक प्रति प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका के प्रतिवेदनानुसार विषयक प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

1. यह प्रस्ताव दुमका जिलान्तर्गत दुमका वन प्रमंडल से संबंधित है।
2. इस परियोजना में प्रयुक्त 14.217 हे0 अधिसूचित एवं जंगल–झाड़ी वनभूमि है।
3. प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	दाग नं0	वनभूमि का रकवा (एकड़ / डिसमिल में)	निर्मित भवन
1	2	3	4	6	7	8
1	दुमका	बन्दरजोरी	12	350 / अंश	7.50	मजिस्ट्रेट कॉलोनी
				472 / अंश	10.47	
2				456 / अंश	3.05	पुलिस उप महानिरीक्षक आवास
3				350 / अंश	2.15	पुलिस लाईन
4				364 / अंश	7.00	आउटडोर स्टेडियम
5				317 / अंश	0.25	राजभवन
				14 / अंश	3.62	
				13	1.09	
					35.13 या 14.217 हे0	

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित फार्म A Part 1 की मूल हस्ताक्षरित आवेदन संलग्न। **(अनु0–XII)**
5. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II एवं III में क्रमशः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका का मंतव्य एवं आवश्यक प्रविष्टि दर्ज है। साथ ही दोनों पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। **(अनु0–I, IA एवं II)**
6. वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् उपायुक्त दुमका का पत्रांक 735 दिनांक 20.06.2018 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न। **अनु0–VI**
7. प्रजातिवार वृक्षों की गणना सूची पार्ट–II में दर्ज है। प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व 0.2 दर्ज है। वृक्षों के पातन की आवश्यकता नहीं है।
8. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका ने अपने पार्ट–II के कंडिका 11 के उप कंडिका 1 में प्रस्तावित वनभूमि पर Violation होने की सूचना दी है।
9. प्रस्ताव के साथ KML file Geo reference नक्शा एवं Shape File संलग्न है।
10. Proposed Building निर्मित Campus layout site plan की नक्शा संलग्न है। **अनु0–V**
11. मौजा मानचित्र पर प्रस्तावित क्षेत्र को दर्शाते हुए संलग्न।**अनु0–VIII (i & ii)**
12. टोपोमैप 1:50000 स्केल पर प्रस्तावित स्थल को दर्शाते हुए नक्शा संलग्न। **अनु0–XII (i & ii)**
13. क्षतिपुरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि मौजा–लताबनी, थाना–तसरिया, थाना सं0–15, प्लॉट नं0–823/अंश, रकवा–10.117 हे0 एवं मौजा–देदाहा, थाना–बेनागडिया, थाना सं0–10, प्लॉट नं0–01/अंश, रकवा– 04.100 हे0 इस हेतु योजना, प्राक्कलन एवं नक्शा KML File के साथ संलग्न। **अनु0–IX, X, XI**
14. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न। **(अनु0–III)**
15. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दस वर्षीय प्राक्कलन की प्रति संलग्न। **(अनु0–VII)**
16. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर, गज कोरिडोर, ब्याघ्र परियोजना का हिस्सा नहीं है।
17. प्रस्ताव के साथ C.W.L.W, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्त है। **(अनु0– W)**
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV, CA एवं अन्य राशि जमा करने हेतु वचनवद्धता दी गई है।**(अनु0– U)**
19. प्रस्ताव के साथ पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।
20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा प्रस्ताव को Online कर Time line पत्र के साथ संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 14.217 हे0 वनभूमि अपयोजन की अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है। प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए, अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 14.217 हे0 वनभूमि के अपयोजन (नियमितिकरण) हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।
प्रस्ताव की तीन मूल प्रति के साथ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को प्रस्ताव की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 715 दिनांक 29.6.18

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.06.2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

27.8.18

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

DIVERSION (REGULARIZATION) PROPOSAL OF GOVERNMENT BUILDING CONSTRUCTED IN DUMKA OVER 14.217 ha. FOREST & JUNGLE JHARI LAND.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion (Regularization) of 14.217 ha. Forest land.

Date :- 28.06.2018

Place :- Ranchi.

Signature

28.06.2018

(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forest-cum-Executive Director Wasteland Development Board Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1125 दिनांकः– 29/06/18

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वनभूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी आउटडोर स्टेडियम राजभवन तथा पुलिस उप–महानिरीक्षक आवास के लिए वनभूमि अपयोजन (नियमितिकरण) का प्रस्ताव।

प्रसंगः– आपका कार्यालय पत्रांक– 707 दिनांक– 28.06.2018

महाशय,

अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य है कि चूकि प्रस्तावित अतिक्रमित अपयोजित होने वाली भूमि दुमका शहरी क्षेत्र में अवस्थित है अतएव वनभूमि अपयोजन के कारण वन्यप्राणियों पर कोई कुप्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

आपका विश्वासी

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्या प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका।

Court Compound, Dumka-814101
E-mail- cfdumka@gmail.com/cf-dumka@gov.in

पत्रांक– 1028 दिनांक– 28/6/18

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– NGT कोलकाता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप निरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–674 दिनांक–20.06.2018 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल का पत्रांक 2189 दिनांक 28.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण प्रस्ताव हेतु आपत्तियों का निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,
28/6/18
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, दुमका।

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

झारखण्ड सरकार

Court Compound, Dumka-814101

E-mail- -dfodumka@gmail.com/dfo-dumka@gov.in ; Ph. No- 06434-236072

पत्रांक– 2189 दिनांक– 28/6/'18

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, दुमका।

विषय :– NGT कोलकाता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप निरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–674 दिनांक–20.06.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण प्रस्ताव हेतु आपत्तियों का निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,
28/6/'18
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक – 2189, दिनांक 28/6/18 का अनु०

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

झारखण्ड सरकार
Court Compound, Dumka-814101
E-mail- dfodumka@gmail.com/dfo-dumka@gov.in : Ph. No- 06434-236072

पत्रांक–.................... दिनांक–....................

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, दुमका।

विषय :– NGT कोलकाता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरुद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप निरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का पत्रांक–487 दिनांक–25.4.2018 तथा तथा इस कार्यालय का पत्रांक 2050 दिनांक 15.6.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण प्रस्ताव के Violation में दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर की गई कार्रवाई के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार टिप्पणी निम्नवत् है:–

1. **आउटडोर स्टेडियम**– उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आउटडोर स्टेडियम के अंश–भाग का वन भूमि में अवैध निर्माण माह जुलाई, 1986 में प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा यह सूचित करते हुए कि वनभूमि के अंश–भाग में स्टेडियम निर्माण के पक्ष में सरकार नहीं है, आदेश निर्गत किया गया कि उक्त भूमि में यथाशीघ्र वनरोपण कर पार्क के रूप में विकसित किया जाय। उपरोक्त के संदर्भ में प्रमंडलीय पत्रांक–731 दिनांक–17.3.1989 द्वारा अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु उपायुक्त, दुमका को पत्र लिखा गया है। उस पत्र में यह भी उद्धत किया गया है कि आयुक्त, संथाल परगना के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि स्टेडियम के निर्माण पर रोक लगा दिया जाएगा। तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमडल, दुमका ने पत्रांक–916 दिनांक– 29.5.1990 द्वारा स्टेडियम को वनभूमि से बाहर करने हेतु अनुरोध किया गया है। पुनः पत्रांक 1375 दिनांक–18.4.2002, 2450 दिनांक–06.10.2005, 1687 दिनांक–17.7.2007, 2751 दिनांक–21.11.2007, 2325 दिनांक–03.8.2016, 2335 दिनांक–04.8.2016, 3232 दिनांक–12.11.2016, 231 दिनांक 18.01.2017, 277 दिनांक 25.01.2017, 417 दिनांक 08.02.2017, 709 दिनांक 04.3.2017 1225 दिनांक 08.4.2017, 1379 दिनांक 27.4.2017 द्वारा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण में अतिक्रमित वन भूमि का अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव समर्पित करने हेतु पत्र लिखा गया। (छायाप्रति संलग्न)
2. **राजभवन**– विदित हो कि पूर्व में उक्त भवन अंग्रेज के समय काल में निर्मित था, जिसका धारणकर्त्ता का सिर्फ रूप संपरिवर्तित किया गया है। उक्त भवन वस्तुतः जिस भूमि पर अवस्थित है वह सुरक्षित वन भूमि न होकर राजस्व अभिलेख में साखु जंगल के रूप में वर्णित है। झारखण्ड सरकार, लोक कार्य (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड, रांची की अधिसूचना सं0–254(s) तदनुसार ज्ञापांक–255(s) दिनांक–23.01.2001 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका के आवास को माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड राज्य के दुमका में अस्थायी

शिविर आवास के रूप में परिणत किया गया। (छायाप्रति संलग्न) तदोपरांत इसे राज्य भवन में परिणत किया गया। चूंकि यह भवन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के पहले बना था, अतः इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं समझा जाना उचित होगा। तथापि इस भवन से संबंधित भूमि को वनभूमि मानते हुए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त है।

3. **मजिस्ट्रेट कॉलनी, पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास तथा पुलिस लाईन**– सर्वे कार्य में निपुण वन कर्मियों की कमी थी। स्थापित वनकर्मियों की कमी के कारण उक्त निर्माण को संज्ञान में देर से लिया गया होगा। विस्तृत सर्वे कार्य के उपरांत जब उक्त वन भूमि पर अतिक्रमण प्रकाश में आया, जिससे ज्ञात हुआ कि मजिस्ट्रेट कॉलोनी तथा आरक्षी उप महानिरीक्षक आवास एवं पुलिस लाईन का अंश अधिसूचित वन भूमि पर निर्मित था। चूंकि इन भवनों के निर्माण के संबंध में प्रमंडलीय कार्यालय में कोई पुष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं था, अतः संबंधित पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि संभवतः मजिस्ट्रेट कॉलोनी 1990 के दशक में तथा इसके कुछ बाद संभवतः DIG Residence तथा पुलिस लाईन का निर्माण हुआ। मजिस्ट्रेट कॉलोनी के संबंध में इस कार्यालय द्वारा 2005 में उपायुक्त को संबंधित पत्र में उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा गया कि उक्त निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन किया गया था। तदोपरांत इस कार्यालय के द्वारा वर्ष 2007 में उपायुक्त को लिखे गए पत्र में मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के निर्माण का उल्लेख है, जिसमें उपायुक्त, दुमका को लिखा गया था कि उपरोक्त तीनों संरचनाएँ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत स्वीकृति हेतु जिला प्रशासन/कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, भवन प्रमंडल, दुमका को इस कार्यालय के पत्रांक–1375 दिनांक–18.4.2002, 2450 दिनांक–06.10.2005, 1687 दिनांक–17.7.2007, 2751 दिनांक–21.11.2007, 2325 दिनांक–03.8. 2016, 2335 दिनांक–04.8.2016, 3232 दिनांक– 12.11.2016, 231 दिनांक 18.01.2017, 277 दिनांक 25.01.2017, 417 दिनांक 08.02.2017, 709 दिनांक 04.3.2017 1225 दिनांक 08.4.2017, 1379 दिनांक 27.4.2017 द्वारा अतिक्रमित वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरांत कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, भवन प्रमंडल, दुमका का पत्रांक–268 दिनांक–26.02.2018 द्वारा Online वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रावधान उपलब्ध है। चूंकि वन विभाग के कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा मामला स्वतः संज्ञान में आते ही कार्रवाई काफी पहले की गई एवं उक्त सभी भवनों के निर्माण की तिथि संबंधी सूचना वन प्रमंडल कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। अतः अभिलेख के अनुसार वन पदाधिकारी/कर्मचारियों के संलिप्तता की पुष्टि नहीं होती है। इस कार्यालय के पत्रांक–229 दिनांक–19.01.2018 तथा 538 दिनांक–08.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्माण संबंधी समय/वर्ष एवं पदाधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं वन संरक्षण के उल्लंघन संबंधी सूचना की मांग की गई है। सूचना उपलब्ध होने के पश्चात् प्रतिवेदित किया जायेगा।

अनु०– यथोक्त

विश्वासभाजन,
[signature] ../6/18
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

No.	Rev. Vill	Khata No.	Plot No.	Notified Forest	Shakbua Jungle/ Demarcated Forest	Total Area (in Acre)	Total Area (in ha)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rajbhawan		13,14 /P, 317	0	5.17	5.17	2.09	GoJ vide notification no. 254(S) Memo no.-255(S) dt. 23.01.2001 converted residence of Dfo Dumka into temporary camp office of Honorable Chief Minister, Jharkhand. Subsequently it was converted into Rajbhawan. This building was constructed during the British period on GM Jungle Jhari Land.
2	Outdoor Stadium (Part)	76	364	7.00	0	7.00	2.83	1. As per record in the Dfo office unauthorized construction of Outdoor Stadium on the forest land of Dumka Forest Division began in July 1986. 2. On 17.03.1989 Dfo, Dumka requested DC, Dumka to stop unauthorized construction on Forest land. 3. Department of Forest & Environment, Govt. of Bihar vide its letter no. 1758 dated 26.04.1990 had taken a decision that the Govt. was not in favour of construction of Stadiam on the part forest land of Bandarjari PF of Dumka Forest Division & has further suggested that the aforesaid area should be planted & developed as a park. 4. Dfo, Dumka again requested the DC, Dumka to exclude Forest land from constructed portion of Stadium vide its letter no. 916 dated 29.05.1990. 5. Thereafter, many request letters have been written by the Dfo, Dumka to the DC, Dumka for regularization of Forest land encroachment falling within Stadium perimeter between 18.04.2002 to 08.02.2018 and had also requested to intimate the names of the erring officials. 6. A forest diversion proposal in regard to the forest land involved has been filed.
3	Mahila College Hostel		03/P	3.08	0	3.08	1.25	1. On 27.07.1976 Dfo, Dumka requested the DC, Dumka not to allow construction of Mahila College/Hostel on the Forest land. 2. Dfo, Dumka on 01.08.1989 and 05.08.1989 asked Principal, Santhal Pargana Mahila College to stop construction of boundary wall on the Forest land. 3. Again on 14.08.1989 Dfo, Dumka requested DC, Dumka to get the construction work stopped on the Forest land. 4. There also seem to be some legal issues involved in the matter as Principal, Mahila College wrote to DFO, Dumka in 1991 disputing the title of the Forest Department on the land. 5. However a forest diversion proposal has been filed.

	Magistrate Colony	36	472 350	17.76	0	17.76	7.19	1. The Magistrate Colony was probably constructed during 1990s. In the Dumka Forest Division, attempts were made to find out the period in which, the said buildings were constructed , but no records were found to substantiate the same. 2. The DIG residence and Police line were constructed at a later date, and it appears from the documents that the DFO did request the Deputy Commissioner to get it regularised in the year 2007, after conducting due survey of the forest land in question. 3. There after, many request letters have been written by the Dfo, Dumka to the DC, Dumka for regularization of the above violation between 06.10.2005 to 08.02.2018 and had also requested to intimate the names of the erring officials. Finally EE, Building Dept., Dumka has uploaded Forest diversion proposal with respect to all three constructions.
5	DIG Residence	76	456	3.05	0	3.05	1.23	
6	Police Line		350/P	2.15	0	2.15	0.87	

झारखंड सरकार,
लोक कार्य (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग,
झारखंड, रांची ।

12.02.2001

अधिसूचना

अधिसूचना सं0- 254(S)

दिनांक - 23.1.2001

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के दुमका स्थित आवास को मुख्य मंत्री, झारखंड राज्य के दुमका में अस्थायी शिविर आवास के रूप में अगले आदेश तक परिणत किया जाता है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
23.1.2001
(हरीन्द्रानन्द)
सरकार के उप सचिव,
लोक कार्य (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग,
झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक - 255(S)

दिनांक - 23.1.2001

प्रतिलिपि-महालेखाकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.1.2001
(हरीन्द्रानन्द)
सरकार के उप सचिव,
लोक कार्य (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग, झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक - 255(S)

दिनांक - 23.1.2001

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23.1.2001
(हरीन्द्रानन्द)
सरकार के उप सचिव,
लोक कार्य (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग, झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक - 255(S)

दिनांक - 23.1.2001

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, झारखंड राज्य, रांची/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/महामहिम राज्यपाल के सचिव/सचिव, झारखंड विधान सभा/विकास आयुक्त, रांची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय/सचिव, गृह विभाग/सचिव, वित्त विभाग/आरक्षी महानिदेशक, झारखंड, रांची/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल/आयुक्त, दुमका प्रमंडल, दुमका/सचिव, लोक निर्माण विभाग, रांची/निबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय रांची/उपायुक्त, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.1.2001
(हरीन्द्रानन्द)
सरकार के उप सचिव,
लोक कार्य (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग, झारखंड, रांची ।

कंडिका–01

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पत्र संख्या :–

सेवा में,

उपायुक्त,

दुमका।

दुमका, दिनांक–17वी मार्च, 1989 ई0।

विषय :– बन्दरजोरी पी0एफ0 के दाग नं0–364 के अंश भाग में स्टेडियम निर्माण किये जाने के संबंध में।

महाशय,

दिनांक–26.9.88 को आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के कार्यालय कक्ष में उपरोक्त विषयक पर लिये गये निर्णय का कृपया स्मरण करें। उपरोक्त विषयक वार्त्ता में आपके साथ में उपस्थित था। आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया था कि या कि स्टेडियम के चहार दिवारी के घेरान का चुंकि बहुत थोड़ा कार्य (सिर्फ 3–4 दिनों का) बांकि है। अतः उक्त कार्य को ही सिर्फ किया जाय और स्टेडियम निर्माण का कार्य तबतक आरंभ नहीं किया जाय तब तक की संबंधित क्षेत्र का वनभूमि से विमुक्ति का स्पष्ट आदेश भारत सरकार से नहीं प्राप्त हो जाता हैं। आयुक्त महोदय ने यह भी बतलाया था कि घेरान कार्य इस लिए बन्द नहीं किया जाय कि घेरान का 90 प्रतिशत कार्य पूर्व में ही हो गया है और अगर भारत सरकार का स्थानान्तरण आदेश प्राप्त नहीं होता है तो वन विभाग मेरे घेरे हुए इस क्षेत्र में एक पार्क का निर्माण करेगा। फलतः घेरान कार्य के नव स्टेडियम निर्माण का कार्य बन्द हो गया। लेकिन इधर हाल में 8–10 दिन पूर्व स्टेडियम निर्माण का कार्य पुनः चालू कर दिया गया है। जिसकी कोई जानकारी मुझे नहीं दी गयी। मैंने इस कार्य को बन्द करने हेतु आपसे साक्षात्कार कर अनुरोध किया है।

विदित है कि वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत किसी भी वनभूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्य हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक उसके स्थानान्तरण आदेश भारत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हो जाता है। भारत सरकार ने इस संबंध में बहुत ही कड़ा रूख अपनाया है और राज्य सरकार को भारत सरकार की प्रत्यासा में किसी भी वन भूमि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगाया है। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के उपरोक्त निर्णय के बाद ही जिला विकास आयुक्त, दुमका ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की एक प्रति मुझसे मांगकर इस अधिनियम पर बाते की और अन्त में निर्णय लिया कि वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार उक्त वन भूमि में स्टेडियम के निर्माण–कार्य बिना भारत सरकार की अनुमति के करना सरकारी कानून की अवहेलना होगा।

बन्दरजोरी पी0एफ0 के दाग नं0–364 के अंश भाग में स्टेडियम निर्माण स्थानान्तरण हेतु संबंधित विहित प्रपत्र में इस कार्यालय के पत्रांक–3224 दिनांक–27.10.88 में वन संरक्षक, भागलपुर अंचल को भेज दिया गया है। जिसकी एक प्रति आपकी मांग पर आपको भेजी जा रही है।

अतः ऐसी परिस्थिति में आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि स्टेडियम के निर्माण कार्य अविलम्ब बन्द किये जाय।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह0/–

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

दुमका प्रमंडल।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0–................... दिनांक–...............................

प्रतिलिपिः– आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को भेजते हुए उनसे अनुरोध है कि वे उपायुक्त, दुमका को दिनांक–26/9/88 को अपने लिये लिये गये निर्णय के आलोक मे स्टेडियम के निर्माण कार्य अविलम्ब बन्द करने का निर्णय अपने स्तर से दें।

ह0/–डी0एन0सिंह
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका प्रमंडल।

ज्ञाप सं0–................... दिनांक–...............................

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित। इस संबंध में उनके मार्ग दर्शन का मैं सदा अनुगृहित रहूँगा।

ह0/–डी0एन0सिंह
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका प्रमंडल।

ज्ञाप सं0–731 दिनांक–17/3/89

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

ह0/–डी0एन0सिंह
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका प्रमंडल।

पत्र संख्या वन भू0 ह0 14/90 1758 व0प0

बिहार सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग।

प्रेषक,

श्री नवीन वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
बिहार, राँची।

पटना 15, दिनांक–26/4/90

विषय :– बन्दरजोरी पी0एफ0 के भाग नं0–364 के अंश भाग में स्टेडियम निर्माण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1473 दिनांक 15/3/90 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि बन्दरजोरी (दुमका) पी0एफ0 के भाग नं0–364 के अंश भाग में स्टेडियम निर्माण के पक्ष में सरकार नहीं है।

2. सरकार इच्छुक है कि उक्त भूमि में यथाशीघ्र वनरोपण कर वृक्षादित किया जाय तथा पार्क के रूप में विकसित किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(नवीन वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची।

ज्ञापांक–2993 शक सम्वत–1912 दिनांक–17/5/90

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आग्रह है कि सरकारी आदेश के आलोक में अतिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें। इस वर्ष जून माह में वृक्षारोपण का कार्य हो जाना चाहिये। इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समय–समय पर प्रतिवेदन दिया करें।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,
राँची।

कार्यालय, वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर।

ज्ञापांक–902 दिनांक–01/6/90

प्रतिलिपिः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/–
वन संरक्षक,
भागलपुर अंचल, भागलपुर।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक–916

सेवा में,

उपायुक्त,
दुमका।

दुमका, दिनांक–29 मई 1990

विषय :– बन्दरजोरी पी0एफ0 के भाग नं0–364 के अंश भाग में स्टेडियम निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में बिहार सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग, पटना का पत्र संख्या–वन भूमि ह0–14 / 90 दिनांक–26.4.1990 की प्रतिलिपि अनुलग्नक करते हुए कहना है कि सरकार बन्दरजोरी पी0एफ0 के भाग नं0–364 के अंश भाग में स्टेडियम निर्माण के पक्ष में नहीं है।

सरकार इच्छुक है कि उक्त भूमि में यथाशीघ्र वनरोपण कर वृक्षादित किया जाय तथा पार्क के रूप में विकसित किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वन भूमि को स्टेडियम से बाहर करने की कृपा की जाय ताकि सरकार के निदेशानुसार उस पर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी
ह0 / –एस0के0पाण्डेय
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

ज्ञापांक–916 दिनांक–29.5.1990

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, वन प्रबंधन एवं संरक्षण, बिहार, रांची / वन संरक्षक, भागलपुर अंचल की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –एस0के0पाण्डेय
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

(48)

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका ।

पत्रांक 1375 / दिनांक 18-4-2002

सेवा में,

उपायुक्त,
दुमका ।

विषय:- बन्दरजोड़ी पी०एफ० के दाग नं०-364 के अंश भाग में स्टेडियम निर्माण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि बंदरजोड़ी पी० एफ० के दाग नं० 364 के अंश भाग में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन कर स्टेडियम का निर्माण किया गया है । उल्लेखनीय है, कि इस अधिनियम के तहत बिना भारत सरकार के अनुमति के वनभूमि का उपयोग गैरवानिकी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। वन विभाग द्वारा इस अधिनियम के उलंघन के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाई नहीं होने पर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कारवाई करने का आदेश है ।

अतः उपरोक्त के संबंध में कृपया सूचित करने की कृपा की जाय कि उक्त स्टेडियम किसके आदेश से किसके द्वारा एवं किस वर्ष निर्माण किया गया ।

विश्वास भाजन

18/4/2002

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल ।

हीरालाल/3/4/

पत्रांक- 2751 दिनांक- 21.11.07

सेवा में,

उपायुक्त,

दुमका।

विषय:- दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत दुमका स्थित वन भूमि में पुलिस उप महानिरीक्षक आवास, पुलिस लाईन तथा मजिस्ट्रेट कॉलोनी आदि का भवन बनाए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि इस प्रमंडल के अन्तर्गत दुमका स्थित वन भूमि में पुलिस उप महानिरीक्षक आवास, पुलिस लाईन तथा मजिस्ट्रेट कॉलोनी आदि का निर्माण किया गया है। वन भूमि में उक्त निर्मित भवनों आदि का सर्वे इस कार्यालय द्वारा कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	निर्मित भवनों का नाम	गाँव का नाम	थाना नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा		वन भूमि पर बनाएँ भवनों का रकबा	
					एकड़	डिसमिल	एकड़	डिसमिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मजिस्ट्रेट कॉलोनी	बन्दरजोरी	12	350	22	92	1	05
2	मजिस्ट्रेट कॉलोनी	बन्दरजोरी	12	472			2	65
3	पुलिस उप महानिरीक्षक	बन्दरजोरी	12	456			3	05
4	पुलिस लाईन	बन्दरजोरी	12	350			0	85
				कुल:-	22	92	7	60

उक्त वन भूमि अधिसूचित वन भूमि है, जिसका अधिसूचना संख्या-सी0 पी0टी0 1075/53-1347 आर0, दिनांक-31.3.1953 है (छाया प्रति संलग्न) है। इस प्रकार गाँव बन्दरजोरी के उक्त प्लॉट में कुल 22 एकड़ 92 डिसमिल वन भूमि में कुल 7 एकड़ 60 डिसमिल वन भूमि पर उक्त आवास बनाया गया है। अमीन द्वारा कराए गए सर्वे का मानचित्र चिन्हित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन भूमि में बिना भारत सरकार के अनुमति का गैर वानिकी कार्य करना वर्जित है।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधन अन्तर्गत भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत गाईड लाईन (Guide line) पत्रांक-[illegible] एफ0सी0, दिनांक-31.7.1986 के नियम सं0-11 एवं 111 में उल्लेख है कि [illegible] सरकार का भवन निर्माण हेतु वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोजन पर बल दिए जाने अथवा विचार किए जाने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वन भूमि में गैर वानिकी उपयोजन (जो निर्माण किया गया है) की घटनोत्तर स्वीकृति भारत सरकार से यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त

आपका विश्वासी

ह0 -

वन प्रमंडल पदाधिकारी

दुमका वन प्रमंडल, दुमका

ज्ञापांक-3/6 2751 दिनांक-21-11-07

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, दुमका अंचल, दुमका को उनके पत्रांक-[illegible] दिनांक-17.8.2007 के क्रम में अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature]

Annexure-V

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।
पत्रांक-1687 दिनांक-17.7.2007

सेवा में,

उपायुक्त,
दुमका।

विषयः- आउट डोर स्टेडियम, दुमका के विस्तार हेतु जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः- जिला राजस्व शाखा, दुमका का पत्रांक-136 दिनांक-17.3.2007।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधिन पत्र द्वारा, दुमका स्थित बन्दरजोरी प्लॉट नं0-364 में निर्मित आउट डोर स्टेडियम का विस्तार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को अग्रसारण करने की कार्रवाई के क्रम में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर समीक्षोपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए है

(1) वर्त्तमान में बन्दजोरी सुरक्षित वन के प्लॉट नं0-364 में माह जुलाई, 1986 में तत्कालीन उपायुक्त, दुमका ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किए उक्त वन भूमि में स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था। वन भूमि में इस स्टेडियम निर्माण के संबंध में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका ने तत्कालीन उपायुक्त, दुमका एवं आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका से सम्पर्क स्थापित कर कार्य को बन्द करने का अनुरोध करते हुए स्टेडियम निर्मित किए जाने वाले वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए वार्ता किया था। इस पर तत्कालीन उपायुक्त, दुमका ने तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी को कहा थी कि अगर भारत सरकार से स्टडियम को वन भूमि से विमुक्ति हेतु आदेश प्राप्त नहीं होगा, तो चहारदिवारी तोड़ दिया जायेगा ।

(2) स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 26.9.1988 को तत्कालीन आयुक्त, संताल परगना प्रमंडल, दुमका ने तत्कालीन उपायुक्त, दुमका एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर वन भूमि में स्टेडियम के निर्माण पर भारत सरकार के अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्णय लिया गया था। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि अगर भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तो पार्क के रूप में वन विभाग इसे बनायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में वन भुमि को स्टेडियम के रूप में भारत सरकार से आदेश प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-3147 दिनांक 26.9.1988 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा तत्कालीन वन संरक्षक, दुमका अंचल, दुमका को विस्तृत प्रतिवेदन भेजते हुए अनुरोध किया गया था तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी ने वन भूमि मे निर्मित किए जाने वाले स्टेडियम को वन भूमि से विमुक्ति हेतु माह सितम्बर, 1988 को प्रस्ताव उचित माध्यम से सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव पर सरकार के स्तर से निर्णय लिए जाने की कारवाई चल रही थी कि माह मार्च, 1989 में पुनः स्टेडियम का निर्माण कार्य तत्कालीन उपायुक्त,दुमका द्वारा प्रारम्भ किए जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक-731 दिनांक-17.3.1989 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वन भूमि पर स्टेडियम कार्य के निर्माण कार्य को बन्द करने हेतु उपायुक्त,दुमका से पुनः अनुरोध किया गया था ।

कृ0पृ0उ0

(4) वन भूमि में स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर बिहार सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग ने अपने पत्र संख्या-वन भू०ह०-14/90-1758 ह०प० दिनांक 26.4.1990 द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं कर पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, (छाया प्रति संलग्न)।

(5) वन भूमि में स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका ने इस कार्यालय के पत्रांक-1375 दिनांक 18.4.2002 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा स्टेडियम किस आदेश से किस एजेन्सी द्वारा एवं किस वर्ष निर्माण किया गया है, तत्संबंधी प्रतिवेदन की मांग का अनुरोध आपके कार्यालय से किया गया, जिसका पत्रोत्तर अप्राप्त रहा।

वर्तमान परिस्थिति में उपरोक्त विवेचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् वन भूमि में अवैध निर्मित आउट डोर स्टेडियम के विस्तार पर नियमानुकूल विचार किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

ऐसी परिस्थिति में मेरा अनुरोध होगा कि जिस वन भूमि पर स्टेडियम निर्माण हो चुका है, उतने क्षेत्रों के लिए पुनः विहित प्रपत्र में प्रस्ताव समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि हुई गलती का सुधार कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से उस पर Post factors approval प्राप्त किया जा सके। साथ ही प्रसंगाधीन पत्र द्वारा समर्पित स्टेडियम के विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके।

अनु०-यथोक्त

आपका विश्वासी

ह०/-
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका

ज्ञापांक- 1687 दिनांक- 17-7-07

प्रतिलिपि वन संरक्षक, दुमका अंचल, दुमका को सभी अनुलग्नों सहित इस कार्यालय के पत्रांक-2450 दिनांक-06.10.2005 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका

17.7.07

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक– 2325 दिनांक– 03.8.16

(5)

सेवा में,

उपायुक्त,

दुमका।

विषय :– दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत दुमका स्थित वन भूमि में पुलिस उप महानिरीक्षक आवास, पुलिस लाईन एवं आउटडोर स्टेडियम का भवन बनाए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडल के अन्तर्गत दुमका स्थित वन भूमि में पुलिस उप महानिरीक्षक आवास, पुलिस लाईन एवं आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। वन भूमि में उक्त निर्मित भवनों का सर्वे इस कार्यालय द्वारा कराया गया, जिसकी विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	निर्मित भवनों का नाम	गाँव का नाम	थाना/थाना नं0	प्लॉट नं0	वन भूमि पर बनाएँ भवनों का रकबा	
					एकड़	डिसमिल
1	2	3	4	5	8	9
1	पुलिस उप महानिरीक्षक	बन्दरजोरी	दुमका–12	456	3	05
2	पुलिस लाईन	बन्दरजोरी	दुमका–12	350	0	85
3	आउटडोर स्टेडियम	बन्दरजोरी	दुमका–12	364	–	–
				कुल :–	3	90

उक्त वन भूमि अधिसूचित वन भूमि है, जिसकी अधिसूचना संख्या– C/P.T. 1075/53-1347 R दिनांक–31.3.1953 है (छायाप्रति संलग्न)।

उल्लेखनीय है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् वन भूमि में बिना भारत सरकार के अनुमति का गैर वानिकी कार्य करना वर्जित है।

उपरोक्त परिस्थिति में अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित वन भूमि का गैर वानिकी का कार्य हेतु अपयोजन प्रस्ताव Online समर्पित करने की कृपा की जाय। ताकि भारत सरकार से उस पर Post facto approval प्राप्त किया जा सके।

आपका विश्वासी,

(हस्ताक्षर) 3/8/16

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

03.8.16

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक– 2395 दिनांक– 04.8.16

(6)

सेवा में,

उपायुक्त,
दुमका।

विषय :– ग्रीन ट्रीब्यूनल पूर्वी बेंच कोलकाता में दायर ओ0ए0न0 14/2014 ई0जेड0 रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में।

प्रसंग :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल का ज्ञापांक–4106 दिनांक–25.7.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वाद के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा दायर रीट याचिका इस कार्यालय में प्राप्त हुई है (छायाप्रति संलग्न)। रीट याचिका की कंडिका–11 एवं 12 इस प्रमंडल से संबंधित है। इन दोनों कंडिकाओं पर प्रतिशपथ–पत्र/पारावाईज कोमेंट तैयार कर प्रासंगिक प्रमंडल को उपलब्ध कराया जाना है। रीट याचिका के जिन–जिन बिन्दुओं पर प्रतिशपथ-पत्र एवं पारावाईज कोमेंट दायर करना है वह निम्नवत् है :–

1. दुमका स्थित राजभवन।
2. आउटडोर स्टेडियम, दुमका।
3. पुलिस लाईन, दुमका एवं 4. पुलिस उप महानिरीक्षक, संथाल परगना, दुमका।

1. दुमका स्थित राजभवन :–

इस संबंध में कहना है कि उपलब्ध अभिलेख के आधार पर झारखण्ड सरकार, लोक कार्य (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–254 (5) दिनांक–23.01.2001 द्वारा "वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका के दुमका स्थित आवास को मुख्यमंत्री झारखण्ड राज्य के दुमका अस्थायी शिविर आवास के रूप में अगले आदेश तक परिणत किया गया है"। सुलभ संकेत हेतु छायाप्रति संलग्न भेजी जा रही है। इस संबंध में आपके कार्यालय द्वारा निर्गत ज्ञापांक–323/गो0 दिनांक–08.02.2001 का भी छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

2. आउटडोर स्टेडियम, दुमका :–

वर्तमान में बन्दजोरी सुरक्षित वन के प्लॉट नं0–364 में माह जुलाई, 1986 में तत्कालीन उपायुक्त, दुमका ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किए उक्त वन भूमि में स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था। वन भूमि में इस स्टेडियम निर्माण के संबंध में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका ने तत्कालीन उपायुक्त, दुमका एवं आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका से सम्पर्क स्थापित कर कार्य को बन्द करने का अनुरोध करते हुए स्टेडियम निर्मित किए जाने वाले वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए वार्ता किया था। इस पर तत्कालीन उपायुक्त, दुमका ने तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा था कि अगर भारत सरकार से स्टडियम को वन भूमि से विमुक्ति हेतु आदेश प्राप्त नहीं होगा, तो चहारदिवारी तोड़ दिया जायेगा ।

क्रमशः

इस संबंध में तत्कालीन आयुक्त, संथाल परगना, दुमका द्वारा बैठक आहुत कर तत्कालीन उपायुक्त, दुमका एवं तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका को आवश्यक निदेश दिया गया था कि अगर भारत सरकार से आउटडोर स्टेडियम के लिए अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो पार्क के रूप में वन विभाग से बनायेगा। इस पर कई पत्राचार हुए थे। यहा तक की बिहार सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के पत्र संख्या–वन भू0हे0–14/90 1758 व0प0 दिनांक–26.4.1990 द्वारा आदेश निर्गत किया है कि "सरकार इच्छुक है कि उक्त वन भूमि में यथाशीघ्र वनरोपण कर वृक्षादित किया जाय तथा पार्क के रूप में विकसित किया जाय"।

उक्त सभी पत्राचारों से संबंधित वस्तुस्थिति से विस्तृत प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक–1687 दिनांक–17.7.2007 द्वारा आपके कार्यालय में भेजी गई है। सुलभ संकेत हेतु छायाप्रति पत्र संलग्न की जाती है। उपलब्ध अभिलेख से पता चलता है कि तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका द्वारा उक्त निर्मित आउटडोर स्टेडियम को Post facto approval के लिए अनुरोध किये है।

3. पुलिस लाईन, दुमका एवं 4. पुलिस उप महानिरीक्षक, संथाल परगना, दुमका :–

उपलब्ध अभिलेख के आधार पर तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका द्वारा निम्नलिखित निर्मित भवनों का वन प्रमंडलीय स्तर पर सर्वे करवायें थे।

क. . मजिस्टेट कॉलोनी, दुमका।
ख. पुलिस उप महानिरीक्षक, दुमका।
ग. पुलिस लाईन, दुमका।

इस संबंध में उनके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक–अमा 2751 दिनांक–21.11.2007 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन घटनोत्तर स्वीकृति हेतु आपके कार्यालय में प्रतिवेदन भेजा गया है (छायाप्रति संलग्न)। अभिलेख में अनुपालन नहीं पाया गया है।

प्रासंगिक पत्र के आलोक में उक्त कंडिकाओं पर प्रतिशपथ–पत्र/पारावाईज कोमेंट को इस प्रमंडल के अतिरिक्त जिला प्रशासन स्तर से भी दायर करने पर वाद का उत्तर सामग्री समुचित रूप से बना रहेगा।

अतः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के आलोक में अनुरोध है कि जिला प्रशासन स्तर से भी प्रतिशपथ–पत्र/पारावाईज कोमेंट उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि इसे सम्मिलित करते हुए इस प्रमंडल द्वारा प्रतिशपथ–पत्र/पारावाईज कोमेंट हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को भेजा जा सके। प्रतिशपथ–पत्र/पारावाईज कोमेंट दायर करने हेतु संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से समय विस्तार हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

ज्ञापांक– 2335 दिनांक– 14-8-16

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

(19)

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक- 3232 दिनांक- 12-11-16

सेवा में,

उपायुक्त,

दुमका।

विषय :- दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत दुमका स्थित वन भूमि में पुलिस महानिरीक्षक आवास, पुलिस लाईन एवं आउटडोर का भवन बनाए जाने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका कार्यालय पत्रांक 1449/रा0 दिनांक-07.10.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में सूचित करना है कि आउटडोर के निर्माण हेतु प्रस्ताव किसी स्तर से आज तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। आउटडोर स्टेडियम के वन भूमि को गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव समर्पित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-1687 दिनांक-17.7.2007 द्वारा अनुरोध किया गया था। सुलभ संकेत हेतु छायाप्रति संलग्न भेजी जा रही है।

बिहार सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के पत्र संख्या-वन भू0बं0 14/90-1758 व0प0 दिनांक-26.4.1990 द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं कर इसे वृक्षादित कर पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सुलभ संकेत हेतु छायाप्रति संलग्न भेजी जा रही है।

प्रमंडलीय अभिलेख के आधार पर मौजा बलिराम, खाता नं0-31, दाग नं0-05 अधिसूचित वन भूमि है। इसका अधिसूचना संख्या-C/P.F. 1075/53-1346R दिनांक-31.3.1953 है। सुलभ संकेत हेतु छायाप्रति संलग्न भेजी जा रही है।

गैर वन भूमि भारत सरकार के द्वारा लगाई जानेवाले शर्तों के आलोक में प्राप्त करने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन भूमि में बिना भारत सरकार के अनुमति का गैर वानिकी कार्य करना वर्जित है।

उपरोक्त परिस्थिति में अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित वन भूमि का गैर वानिकी का कार्य हेतु अपयोजन प्रस्ताव Online प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाय ताकि सरकार से उस पर Post facto approval प्राप्त करने हेतु कार्रवाई आरंभ की जा सके।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी

12/11/16

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

12/11/16

Ω४

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

झारखण्ड सरकार

MOMENTUM JHARKHAND

Court Compound, Dumka-814101
E-mail- dfodumka@gmail.com
; Ph. No- 06434-236072

पत्रांक–231 दिनांक–18-1-2017

सेवा में,

ई-मेल

उपायुक्त,
दुमका।

विषय :– ग्रीन ट्रीब्यूनल पूर्वी बेंच कोलकाता मे दायर ओ0ए0 नं0–14/2014 ई0जे0 रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक–2335 दिनांक–04.8.2016, पत्रांक–2461 दिनांक–19.8.2016, पत्रांक–3647 दिनांक–31.12.2016, पत्रांक–3232 दिनांक–12.11.2016 एवं पत्रांक–3646 दिनांक–31.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग मे सूचित करना है कि उक्त वाद हेतु प्रतिशपथ–पत्र/पारा वाईज कौमेन्ट
प्राप्त नही हुई है। इस संबंध मे कहना है कि ग्रीन ट्रीब्यूनल पूर्वी बेंच कोलकाता में दायर ओ0ए0 नं0–14/2014
ई0जे0 रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले मे माननीय न्यायालय के आदेश पर दिनांक–11.01.2017
को अधोहस्ताक्षरी उक्त न्यायालय में उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के क्रम मे अधोहस्ताक्षरी को माननीय न्यायालय से
आदेश प्राप्त हुआ है कि पुलिस उप महानिरीक्षक, संथाल परगना, दुमका/पुलिस लाईन, दुमका/आउट डोर स्टेडियम,
दुमका इत्यादि भवन जो वनभूमि मे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत बिना भारत सरकार के अनुमति के निर्मित है,
के लिए प्रस्ताव नियामानुसार प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन भूमि अपयोजन से संबंधित Post facto approval हेतु
समर्पित किया जाना है। साथ ही जिला स्तर से उक्त दायर वाद मे प्रतिशपथ–पत्र/पारावाईज कोमेंट उपलब्ध कराने
की दिशा मे प्राप्त किया जाय। सुलभ संकेत हेतु इस संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक–2335 दिनांक–04.8.2016 एवं
2461 दिनांक–19.8.2016 की छायाप्रति प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। सुनवाई की तिथि–
16.02.2017 को निर्धारित की गई है (सुलभ संकेत हेतु छायाप्रति संलग्न)। ऐसी परिस्थिति मे त्वरित कार्रवाई की
आवश्यकता है ताकि माननीय न्यायालय के आदेश का तामिला कराया जा सके।

अनुरोध है कि उक्त सभी निर्मित भवन जो वन भूमि मे अवस्थित है का गैर वानिकी कार्य हेतु
अपयोजन प्रस्ताव Online प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय
ताकि Post facto approval कराने हेतु समुचित कार्रवाई की जा सके। तत्संबंधी सूचना से माननीय न्यायालय को
अवगत कराया जा सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त वाद में जिला स्तर से प्रतिशपथ–पत्र/पारावाईज
कोमेंट माननीय न्यायालय को उपलब्ध कराया जाय। सुलभ संकेत हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2461
दिनांक–19.8.2016 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी

ह0/– 18/01/17

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

ई-मेल

ज्ञापांक–231 दिनांक–18-1-2017

प्रतिलिपि:– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका को दिनांक–11.01.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त सभी स्थलों का वन भूमि अपयोजन होने से संबंधित Online प्रस्ताव शीघ्र समर्पित किया जाय। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ताकि माननीय न्यायालय के आदेश का तामिला किया जा सके।

ह0/– 18/01/17

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

ई-मेल

ज्ञापांक–231 दिनांक–18-1-2017

प्रतिलिपि:– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका को दिनांक–11.01.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 18/01/17

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

H:\Steno Babu\Later, 2016 doc\22

175

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

झारखण्ड सरकार

Court Compound, Dumka-814101

E-mail- -dfodumka@gmail.com / dfodumkafdjhk@jharkhandmail.com ; Ph. No- 06434-236072

पत्रांक– 229 दिनांक– 19-01-18

सेवा में,

ई-मेल

उपायुक्त,
दुमका।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (पूर्वी जोन) में दायर O.A. No.-14/2014/EZ राम लखन सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य।

प्रसंग :– भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक–F No.-10-9/2017-ROHQ दिनांक–28.11.2017 तदनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का पत्र सं0–19 एम.एम. 5(5)37/2014–5393 दिनांक– 15.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि भारतीय वन अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होने पर दोषी व्यक्तियों का दायित्व का निर्धारण करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा मांग की गई है।

ज्ञातव्य हो कि वन भूमि पर सरकारी भवनों का निर्माण कर अतिक्रमंण का घटनोत्तर स्वीकृति हेतु Online आवेदन दी गई है। आवेदन तथा प्राप्त प्रस्ताव में त्रुटि पाये जाने के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, दुमका से इस कार्यालय के पत्रांक–4090 दिनांक–28.12.2017 द्वारा तथा जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका से इस कार्यालय के पत्रांक–4089 दिनांक–28.12.2017 द्वारा E.D.S. (Essential Detail Short) का निराकरण कर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु निराकरण प्रस्ताव अब तक समर्पित नहीं किया गया है, जिस पर वर्त्तमान में भी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन सतत् रूप से प्रभावी है।

अनुरोध है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त विषयक मामले का निराकरण करना चाहेंगे।

अनु0:–यथोक्त।

आपका विश्वासी
19/01/18
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।
19/01/18

ई-मेल

ज्ञापांक– 229 दिनांक–19-01-18

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/18
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।
19/01/18

ई-मेल

ज्ञापांक– 229 दिनांक–19-01-18

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, दुमका/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, दुमका/जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/18
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।
19/01/18

181

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

झारखण्ड सरकार

Court Compound, Dumka-814101

E-mail- dfodumka@gmail.com/dfodumkafdjhk@jharkhandmail.com ; Ph. No- 06434-236072

पत्रांक—.......................... दिनांक—..............................

सेवा में,

उपायुक्त,
दुमका।

स्मार
महत्वपूर्ण

विषय :— माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (पूर्वी जोन) में दायर O.A. No.-14/2014/EZ राम लखन सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य।

प्रसंग :— भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय का पत्रांक—F No.-10-9/2017-ROHQ दिनांक—28.11.2017 तदनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची का पत्र सं0—19 एम.एम. 5(5)37/2014—5393 दिनांक—15.12.2017 तथा इस कार्यालय का पत्रांक—229 दिनांक—19.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र इस कार्यालय के पत्रांक—229 दिनांक—19.01.2018 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होने पर दोषी व्यक्तियों का दायित्वों का निर्धारण करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा मांगी गई है। उपरोक्त के आलोक में आपसे E.D.S (Essential Detail Sought) का निराकरण कर प्रस्ताव समर्पित अनुरोध किया गया था।

संबंधित मामले में उच्चाधिकारी से निराकरण प्रतिवेदन की मांग की जा रही है। अनुरोध है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त विषयक मामले का निराकरण करना चाहेंगे।

आपका विश्वासी

ह0/—

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

ज्ञापांक—.................... दिनांक—..........................

प्रतिलिपि— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

ज्ञापांक—538 दिनांक—8-2-18

प्रतिलिपि— अपर समाहर्त्ता, दुमका/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, दुमका/जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/18

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Anex VI

~~Annexure-II~~

FORM-II

(for project other than linear projects)

Government of Jharkhand

Office of the District Collector Dumka

(Corrected Letter)

No. ..../ Dated 2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **38.21 hactares** of forest land proposed to be diverted in fvour of Magistrate Coloney, DIG Residence, Police Line, Outdoor Stadium, SP Mahila College Hostel (name of user agency) in **Dumka** district falls within jurisdiction of Bandarjori village(s) in **Dumka** tehsils. Detail of Land noted bellow :-

Sl. No	Date of Gram sabha	Rev. Vill	Thana No	Khata No	Plot No	Land/Area Acre/Dismil		Total Area (in Acre/Dismil)
						Notified Forest	Shakun Jungle/ Demarcated Forest	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30.08.2017 25.01.2018	Magistrate Coloney	-	36	472 350	17.76	0 0	17.76
2		DIG Residence	-	76	456	3.05	0	3.05
3		Police Line	-		350/P	2.15	0	2.15
4		Outdoor Stadium	-		364	7.00	0	7.00
5		Rajbhawan	-		13,14/P, 317	0	5.17	5.17
6		Mahila College Hostel	-		03/P	3.08	0	3.08
Total :-						33.04	5.17	38.2[illegible]

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **38.21** of forest land proposed for diversion. Acopy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to... Annexure ....

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and

details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bandarjori villager(s) is enclosed as annexure -01.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl... As above

District Collector
Dumka

Memo No....735............/(Wel), Dated....20.6.18..../2018.
Copy To :-

1. Additional Collector, Dumka for information and necessary action.
2. Divisional Forest Officer, Dumka, for information and necessary action.
3. Commissioner S.P. Division , Dumka for kind information.
4. Special Secretary to Government Revnue and Land Reform Deptt. Jharkhand, Ranchi for information.
5. Tribal Welfare Commissioner, Jharkhand, Ranchi for kind information.

20/6/18

District Collector
Dumka

D:Nishant/Sanjay Si 893

(71)

आज दिनांक 23.01.19 को पंचायत बन्दरजोरी भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें बैठक की अध्यक्षता मुखिया श्री पुष्प मरांडी के द्वारा की जा रही है। आज के ग्राम सभा में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि के जमीन को पट्टा के माध्यम भूमि हस्तांतरित करने के संबंध आपत्ति पत्र भरा है

[signature]
अध्यक्ष मुखिया
बन्दरजोरी

मुखिया
ग्राम पंचायत बन्दरजोरी
प्रखण्ड- दुमका

उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं टीप निशान

1. रमेश मालाकार
2. बसंती देवी
3. प्रमिला देवी
4. उमेश राजक
5. रेमा देवी
6. रोशनी मुर्मू
7. लखीराम मुर्मू
8. सरजू मालाकार

कौलु पालक
सुशील [illegible]
Akshay kumar.
राजेश कुमार
[signature] देवी
दीपक [illegible]
सुनील [illegible]
Pro kumar [illegible]

Scanned by CamScanner

प्रेमचन्द किस्कू

ओमर चालक

जितेन्द्र पाण्डेय

(सुरेश कुमार नं 6

पुलन नं 2 दास

राजेन्द्र थाह

मनोज कु राय

अमृत रजवार

संतोष हरि

भावना दास

दिपिलेश सोरेन

पिइरा सोरेन

प्रमोद चालक

आकाश चालक।

ओम चालक

मंगलबाली

अविरेन्द्र सोरेन

रतन नं० दास

हडमा बास्की

कमल सिंह

रिंकू कुमार

सहदेव चालक

विष्णु हरि

निवेदन है कि दिनांक 25.01-2018 के [illegible] थाना नं0 12 के [illegible]

नोआ कुलही दुड़ूप रेयाक् सेंगावेला रे कुकम जोतो सेरेर आकान होड़ ताला रे होयेना। ने बेंदरजोरी आतो रे वन भूमि रखवारी रे लाहा, स्कूल, बेवास आकान सरकारी ओड़ाक् मोनेक् टंकी दुमान नियाक् जायगा किको लेत इशाक् जाते हमेक् रेयाक् काना। ओना लगित् कुलही दुड़ूप से ग्राम सभा रे जाहना आकान होड़ को दो को राजी गिया।

एना तायोम कुलही दुड़ूप में ग्राम सभा रे जोतो होड़ राजी खुसी ते को मोहा के दा जे ग्राम वन अधिकार समिति बनाव जरुर काना जे मेन लाहा रेयाक् कामी होय दाड़ेयाक्।

बेंदरजोरी आतो रे वनअधिकार समिति गोठन हुयएना आर नोआ समिति रेन सदस्य को रेयाक् चयन जोतो होड़ राजी खुसी ते हुयएना। नोआ समिति रेन सदस्य कोवाक् नुतुम आर दोसखत दो लातार रे मेनाक्।

ग्राम सभा की बैठक में उद्देश्य के संबंध में चर्चा किया गया कि मौजा बेंदरजोरी में अवस्थित वन भूमि रखवा जंगल में पूर्व से निर्मित सरकारी भवनों एवं स्कूल इत्यादि बना हुआ है। उक्त वन भूमि के जमीन का आवंटन किया जाना है। इसके लिए ग्राम सभा द्वारा विचार-विमर्श करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम वन अधिकार समिति का विधिवत् गठन किया जाय ताकि आगे का कार्यवाही किया जा सके।

मौजा बेंदरजोरी में ग्राम वनाधिकार समिति का का गठन एवं सदस्यगण का चुनाव सर्व सम्मति से किया गया जो निम्न प्रकार है: —

Scanned by CamScanner

68 5

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	[illegible] कुमार	अध्यक्ष
2	बरसा किस्कू	सदस्य
3	रोशनी मुर्मू	"
4	विशाल हरि	"
5.	अर्जुन रजवार	"
6.	सीमा मरांडी	"
7.	रेखा सोरेन	"
8	सुनिता मुर्मू	"
9	सोनामुनी हेम्ब्रम	"
10.	टीका सोरेन	"
11.	बाबुलाल मरांडी	"
12.	रामेश्वर किस्कू	"
13.	अक्षय कुमार	"
14.	राजेश मंडल	"
15.	गौतम चालू	"

मौजा बंदरजोरी में वनभूमि पर अवस्थित सरकारी भवन / खेल मैदान का विवरणी निम्न प्रकार है -

बंदरजोड़ी ग्राम के वन भूमि पे बनाया आवास [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible]।

[signature]
मुखिया
ग्राम पचांयत बदरजोरी
जिला दमका

Scanned by CamScanner

5

क्र०	अंचल का नाम	प्रशासनिक विवरणी	मौजा का नाम	खाता सं.	खेसरा सं.	अभिलेखीय रकबा	उपयुक्त रकबा			अवशेष रकबा	कैफियत
1	कुमका	[illegible]	[illegible]	76	472	10.40	7.41	1/1718		3.06	[illegible]
					350	7.50	1.72	"		2.85 5.78	
2	कुमका	पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास	[illegible]	76	456	3.05	2.02	2/1718		1.03	
3.	कुमका	पुलिस लाईन	"	76	350 P	2.15	0.81	3/1718		1.34	
4.	कुमका	आउटडोर स्टेडियम	"	76	364	7.00	2.99	4/1718		4.01	
5.	कुमका	[illegible]	"	76	12, 14 P, 317	4.96	5.17	5/1718		—	0.21A अधिक रकबा
6	कुमका	महिला [illegible]	"	76	3/1	3.08	3.08	6/1718		—	
						38.21	23.20			15.01	

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये सरकारी भवनों एवं स्टेडियम मैदान के जमीन जो वन भूमि का उक्त वन भूमि का उपयोग लोकोपकारी कार्य किया जाना है। इसलिए ग्राम सभा एवं ग्राम वन अधिकार समिति के द्वारा पारित किया गया है कि हमलोगों को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है।

[illegible]

हस्ताक्षर

सिरकारी ओड़ाक् आर आतेन् टंडी
रे याक् बाबा ओका रे वन भूमि रेयाक्
बना। ओना वन भूमि रे दो ओड़ाक् कि
बाड़िच ते सरकारी ओड़ाक् । आर टंडी बेनाव
आकाना। ओनाते कुल्ही दुड़ुप रे ग्राम
सभा आर आबो वन अधिकार समिति
रे नोआ प्रस्ताव बाबत ते राजी किया जबक्
आपत्ति बानुक् ताहेंया।

आज की सभा अध्यक्ष
द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद समाप्त की
गई।

नेहे आर कुल्ही दुड़ुप रे अध्यक्ष
आर सेक्रेटरी ओरेक् मेरोम ते कुचेर इना।

अक्षय कुमार
अध्यक्ष,
ग्राम वनाधिकार समिति
बंदरजोरी दुमका

अध्यक्ष
ग्राम सभा बंदरजोरी
दुमका
ग्राम पंचायत बदरजोरी
जिला दुमका

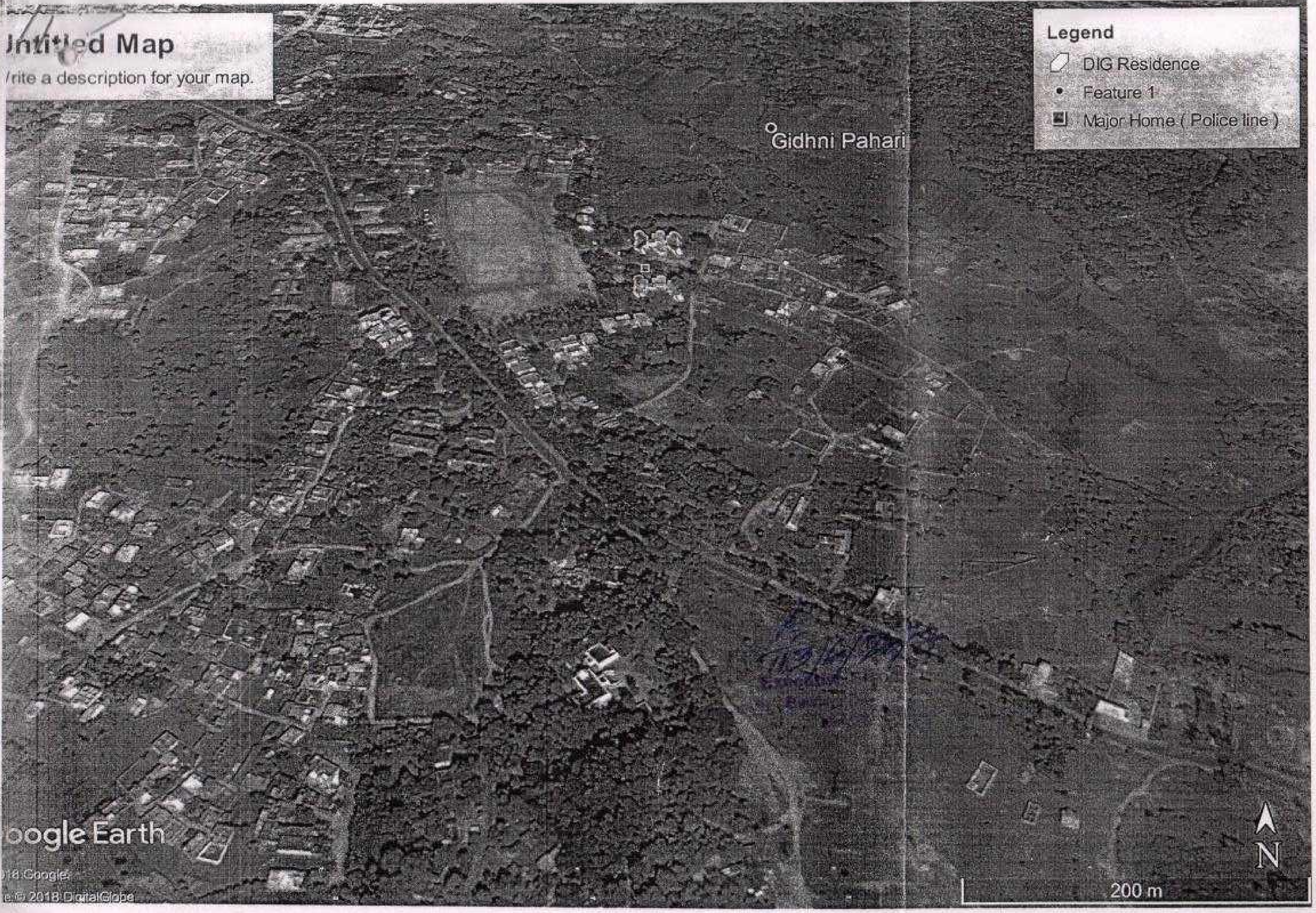
Untitled Map
Write a description for your map.
Legend
DIG Residence
Feature 1
Major Home (Police line)
Gidhni Pahari
N
200 m
Google Earth
© 2018 Google
© 2018 DigitalGlobe

ntitled Map
'rite a description for your map.
Legend
Banderjori
Hotel Raya Raman
Majistrate colony
oogle Earth
e © 2018 DigitalGlobe
Banderjori
N
200 m

ntitled Map
Write a description for your map.
LIC colony
Legend
Childran Park
LIC colony
Outdoor Studium
oogle Earth
© 2018 DigitalGlobe
18 Google
200 m
N

ntitled Map
Vrite a description for your map.
Legend
Feature 1
Hotel Raya Raman
Major Home (Police line)
Police line
Gidhni Pahari
oogle Earth
18 Google
e © 2018 DigitalGlobe
200 m
N

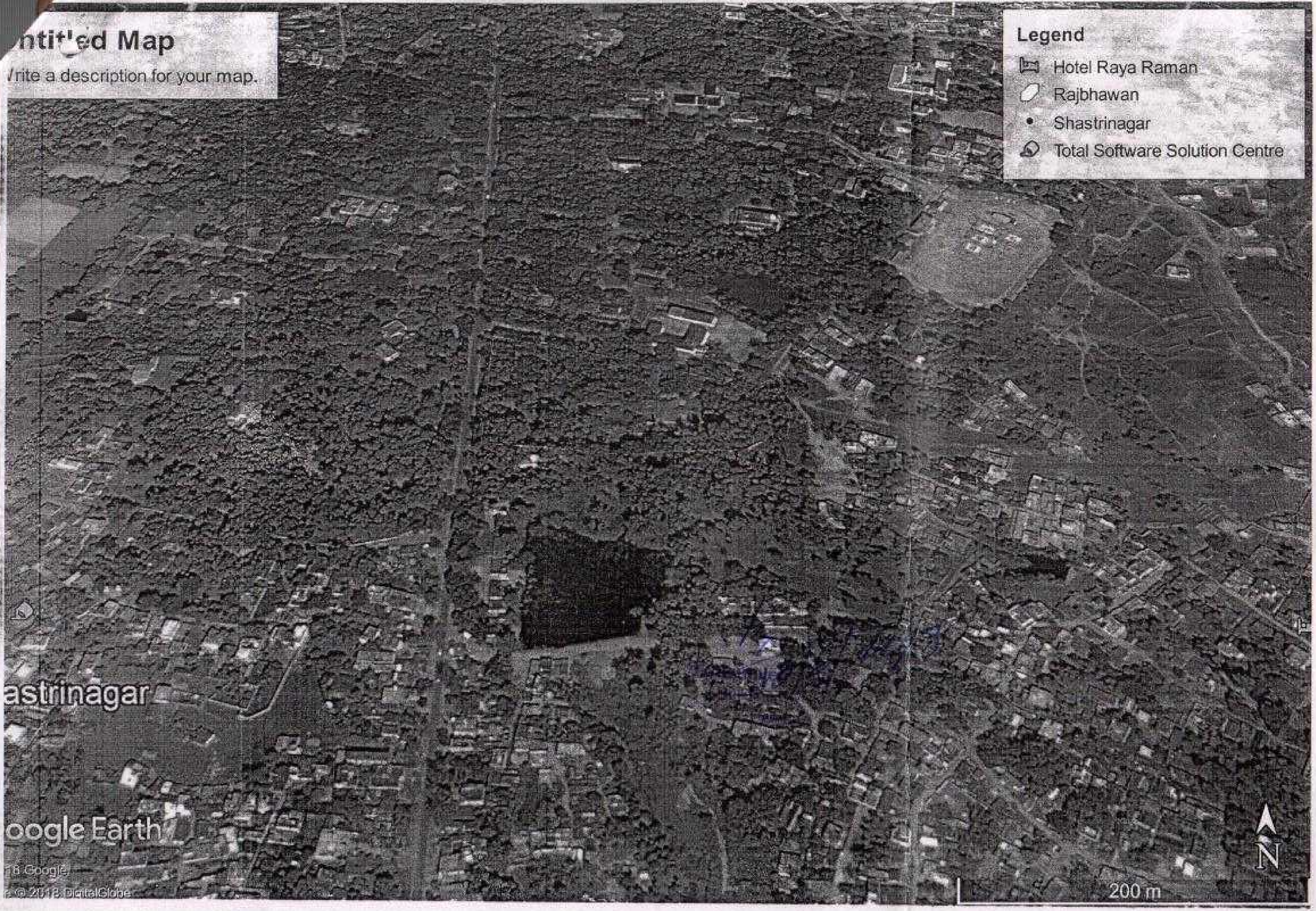
ntit'ed Map
/rite a description for your map.
Legend
Hotel Raya Raman
Rajbhawan
Shastrinagar
Total Software Solution Centre
astrinagar
oogle Earth
18 Google
e © 2018 DigitalGlobe
200 m
N

1. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वन भूमि की विस्तृत विवरणी।
2. प्रस्तावित वन भूमि का **Component-wise Break up**

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	दाग नं0	वनभूमि का रकवा (एकड़/डिसमिल में)	निर्मित भवन
1	2	3	4	6	7	8
1	दुमका	बन्दरजोरी	12	350/अंश	7.50	मजिस्ट्रेट कॉलोनी
				472/अंश	10.47	
2				456/अंश	3.05	पुलिस उप महानिरीक्षक आवास
3				350/अंश	2.15	पुलिस लाईन
4				364/अंश	7.00	आउटडोर स्टेडियम
5				317/अंश	0.25	राजभवन
				14/अंश	3.62	
				13	1.09	
					35.13 या 14.217 हे0	

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

NOT TO SCALE

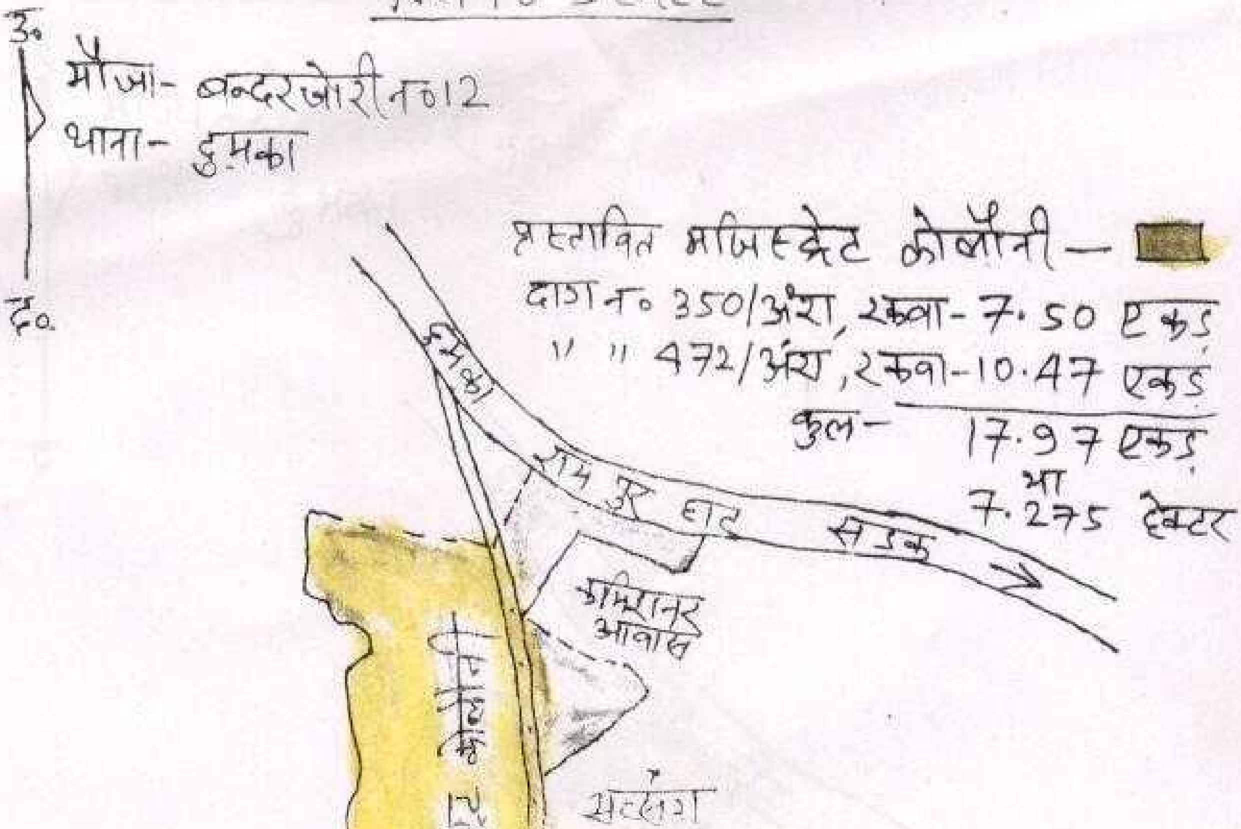

29/5/2018

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल
दुमका

अभिप्रमाणित

वन प्रमंडल पदाधिकारी
दुमका वन प्रमंडल, दुमका

29/5/18
S.E
B.C.D.

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल
दुमका

NOT TO SCALE

उ

मौजा - बन्दरजोरी न० 12
थाना - दुमका

द

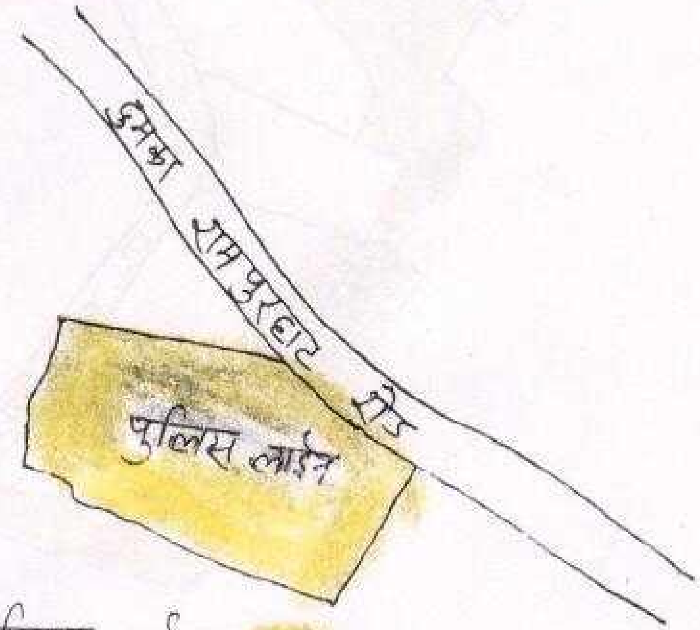

प्रस्तावित पुलिस लाईन -

दाग न० 350 अंश, रकबा - 2.15 एकड़
या
0.870 हे०

29/5/18
S.E
B.C.D.

29/5/2018
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल
दुमका

29/5/2018

अग्रसारित

वन प्रमंडल पदाधिकारी
दुमका वन प्रमंडल, दुमका

NOT TO SCALE

मौजा- बन्दरजोरी नं. 12
थाना - दुमका

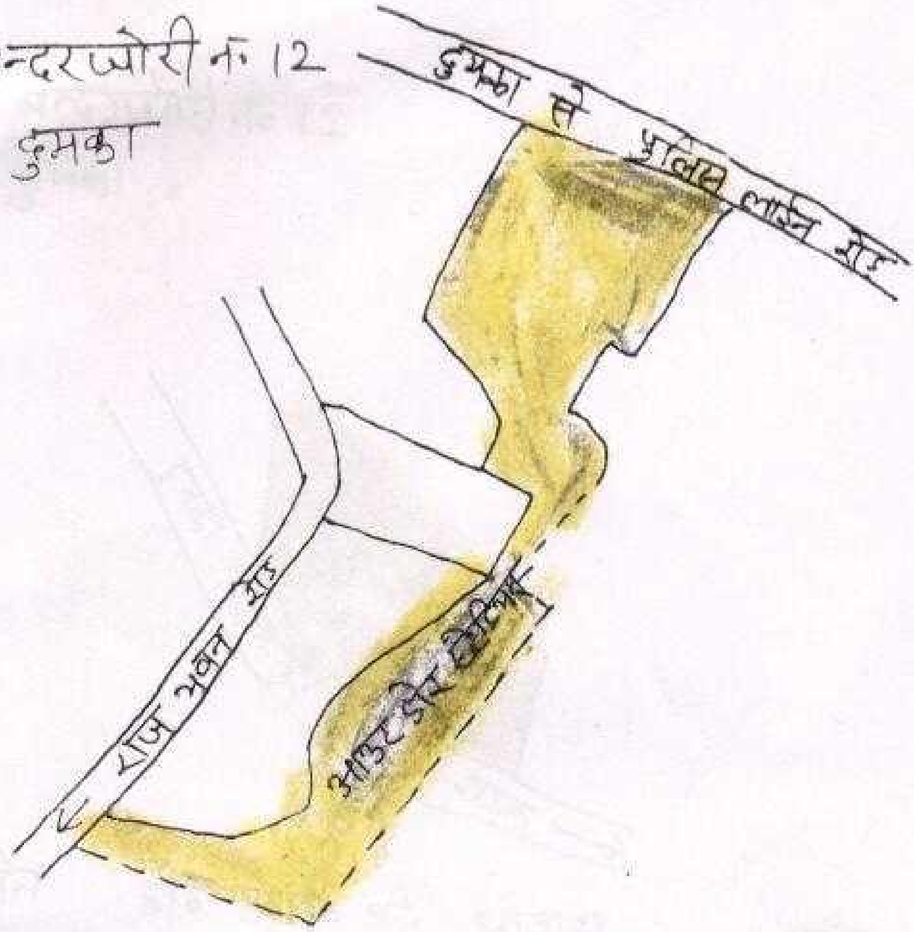

प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम — ▭

दाग नं० 364/अंश, रकबा- 7.00 एकड़
या
2.834 हेक्टर

B/o 29/5/18
S.E, B.C.D

29/5/2018
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल
दुमका

29/5/2018

अग्रसारित

वन प्रमंडल पदाधिकारी
दुमका वन प्रमंडल, दुमका

NOT TO SCALE

उ.

मौजा - बन्दरजोरी नं० 12
थाना — दुमका

द.

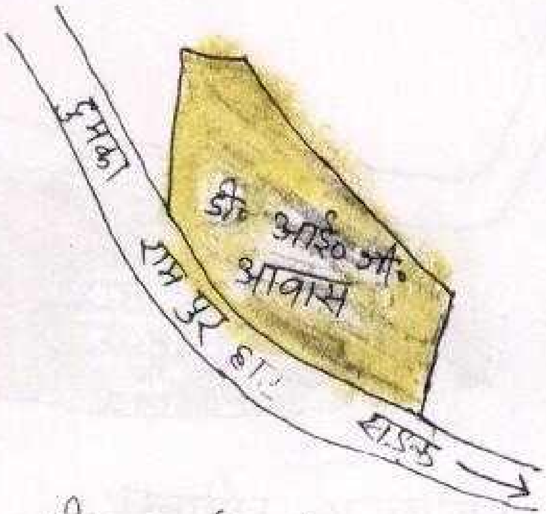

प्रस्तावित डी० आई० जी० आवास -

दाग नं० 456/अंश, रकवा - 3.05 एकड़
या
01.234 हेक्टर

29/5/18
SE, B.C.D

29/5/2018
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल
दुमका

29/5/2018

अग्रसारित

वन प्रमंडल पदाधिकारी
दुमका वन प्रमंडल, दुमका

N.
S.

मौजा - बन्दरजोरी न० 12
थाना - दुमका
स्केल - NOT TO SCALE

प्रस्तावित राजभवन —

दाग न०	317/अंश	— 0.25	एकड़
"	14/अंश	— 3.62	"
"	13	— 1.09	"
	कुल	4.96	एकड़
		या	
		2.008	हेक्टर

29/5/2018

29/5/2018
S.E
B.C.D

29/5/2018

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल
दुमका

अग्रसारित

वन प्रमंडल पदाधिकारी
दुमका वन प्रमंडल, दुमका

NOT TO SCALE

उ.

मौजा - बन्दरजोरी

थाना - दुमका

द.

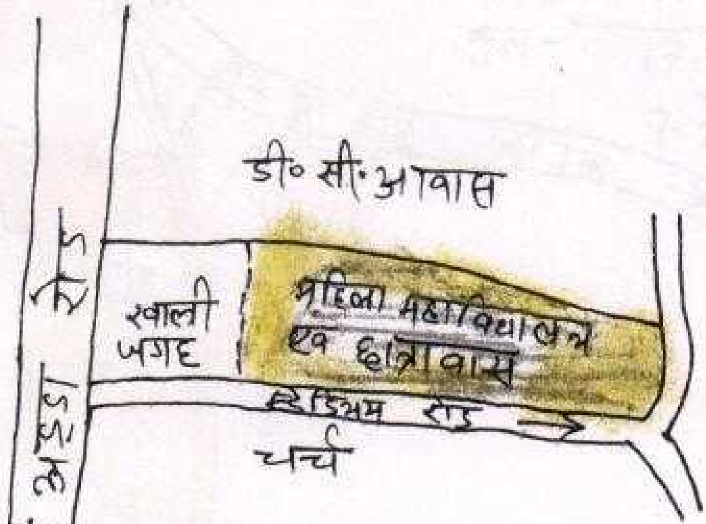

प्रस्तावित महिलामहाविद्यालय एवं छात्रावास —

दाग - 3/अंश, रकवा - 3.08 एकड़

या

1.246 हे०

2/3/18
S.E
B.C.D

जिला कल्याण पदाधिकारी
दुमका
2/3/18

अभिप्रमाणित

वन प्रमंडल पदाधिकारी
दुमका वन प्रमंडल, दुमका

अनु-U

Undertaking for payment compensatory levies

This is to certify that Building Construction Department (BCD) Dumka Division, Government of Jharkhand has applied for diversion of forest land in Dumka District for Magistrate Coloney, DIG Residence, Police line, Rajbhawan & Outdoor stadium. We hereby undertake and submit that Agency undertakes to pay Net Present Value (NPV), Compensatory afforestation (CA), Penal Net Present Value (PNPV) & Penal Compensatory afforestation (PCA) for diversion proposal and other cost/levy, if any, as conditions put forth by Government.

Place

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल
दुमका

Date

Executive Engineer
Building Construction, Department
Dumka Division, Government of Jharkhand.